क्या आप जानते है

1. अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह (आदिम जन जातियों का संरक्षण) विनियम, 1956 तथा उसके अंतर्गत बने नियम अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े आदिम जन जातियों को संरक्षण प्रदान करते है ।

2- निम्नलिखित क्षेत्र जहाँ मुख्य रूप से आदिम जन जातियाँ बसी हुई है, अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह (आदिम जन जातियों का संरक्षण) विनियम के प्रयोजन हेतु आरक्षित क्षेत्र घोषित किए गए है ।

(क) दक्षिण अंडमान द्वीप में कान्सटेन्ट बे के मुहाने से मध्य अंडमान में लिविस इन्लटे बे तक का क्षेत्र ।

(ख)इसमें शामिल सम्पूर्ण क्षेत्र तथा निम्नलिखित द्वीपों के संलग्न तटीय क्षेत्र :–

(i) स्ट्रेट आईलैण्ड
(ii) नार्थ सेन्टिनल
(iii) सिंक
(iv) पैसेज
(v) सिस्टर्स
(vi) ब्रदर्स
(vii) दक्षिण सेन्टिनल और उसके दक्षिण में लिटिल अंडमान सहित अंडमान तथा निकेबार द्वीपसमूह के राज्य क्षेत्र के दक्षिण की ओर के आईसलेट तथा अन्य द्वीप ।

(ग)कर्मोटा और कार निकोबार के पत्तन और ग्रेट निकोबार के राजस्व गांवो और कार निकोबार के एयर फील्ड को छोड़कर सम्पूर्ण क्षेत्र और निम्नलिखित प्रत्येक द्वीपों के संलग्न तटीय क्षेत्र

(i) कार निकोबार
(ii) बट्टी माल्व
(iii) चौरा
(iv) तिलांग चौंग
(v) तरेसा
(vi) बोम्पोका
(vii) कर्मोटा
(viii) ट्रिंकेट
(ix) ननकौरी
(x) कचाल
(xi) मेरोअ
(xii) ट्रैक
(xii) टेरीज
(xiv) मेन्चल
(xv) लिटिल निकोबार
(xvi) पुलो मिलो
(xvii) ग्रेट निकोबार

// Translated and typed by Hindi Cell.
// Required correction.
// Correction done
27/11/07